

कर्म में व्यस्त है। पत्रावली अर्द्धन्दा
दिनांक...16/11/18.....को पेश हो। बिरौर नाउली में पेश है।

2

राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आयोग द्वारा-2018
याम पंचायत, नौदोरी
दिनांक: 16/11/18


16/11/18

पत्रावली पेश हुई अभ्यपक्षान उप। प्राप्ति अधिवक्ता उप।
प्राप्ति अधिवक्ता ने बैंक सार्वभौम के समक्ष प्राप्ति पत्र स्वीकार
दिया जाकर अप्राप्ति के जर्मे अस्मरि निषेधाता वाबंड डिर
जाने डा निवेदन दिया। अप्राप्ति अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत
न करते हुए प्राप्ति पत्र सार्वभौम व आधारहीन होने के
अभिप्रेत करते हुए प्राप्ति पत्र खारिज डिर जाने डा
प्रस्तुत किया। पेशकार सखार ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर
वाड पत्र के निस्तारण मौरि के आधार पर दिया जाना
साम संगत हलते हुए उपन प्रस्तुत डिर। बैंक सार्वभौम द्वारा
उपस्थित पक्षकारन एवं अधिवक्तागन को सुना गया। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात डा क्वलीडन दिया साप ही मजमे
ग्राम में शमशुमरी की गरी तो सुविधा डा सवलन प्राप्ति
के पक्ष में प्रतीत होता प्रामा गमा। अतः ऐसी स्थिति में प्राप्ति
पत्र स्वीकार डिर जाने डा निगमितिया गमा। अतः प्राप्ति पत्र
0.2 212/18 स्वीकार दिया जाकर अभ्यपक्षान को जर्मे
अस्मरि निषेधाता वाबंड दिया जाता है डि वे ताउसला मूल
वाड के निस्तारण तड वाडग्रस्त आराजीमात के राजम रिडो
एड मौरि की यथास्थिति अभ्य र्ये। पत्रावली फंसल सुमार है।
नेबर से कम होकर मूल वाड के साप सलग है।

निगमि से इजलास लौड अदालत बिरौर में सुनाया गया।


अध्यक्ष

लोक अदालत
उदयपुर-जिला


अध्यक्ष

लोक अदालत
उदयपुर-जिला


अध्यक्ष

लोक अदालत
उदयपुर-जिला

